20/12 [illegible]
[illegible] की [illegible]
पेश करें [illegible]
22/1/13 को पेश की

27/2 पत्रावली आज अभियान सम्बन्धी [illegible]
[illegible] की [illegible]
[illegible] की पत्रावली उपस्थित
[illegible]
30/4/13 को पेश की

4/5/15 पत्रावली [illegible] 8/4/15 को पेश है

8/4/15 [illegible] 27/5/15 पेश है

लोक अदालत

2-7-15 पत्रावली लोक अदालत ग्रा. पं. लहेड़ा में पेश हुई। पक्षकार उप. थे। पक्षकारों ने जाहिर किया कि वादी द्वारा निष्पादन वाद में केवल आगामी की दिनांक पारावारी गयी थी और साथ ही प्रतिवादीगण ने वादी के खाते की आगामी का कब्जा छोड़ दिया वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। वादी द्वारा भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा आगामी का कब्जा छोड़ दिया है इसलिए अब उप पत्रावली में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली दीमान पुत्रा लेकर बाद तामील तकमील दफ्तर हो। आज

हीरा लाला

हजारीलाल

धीमा

गोपाल

प्रसाद

रामरेखा
सरपंच
ग्राम पंचायत लहेड़ा
पं. स. मनोहरथाना जिला झाला

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

Scanned by CamScanner